UPAL010106342023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–17, अलीगढ।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :– 5168/2023
CNR No. :- UPAL 010106342023
Filing No. :- 9359/2023

डा0 जितेन्द्र कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र श्री राजकुमार सिंह राजेश हाल निवासी सहायक प्रोफेसर फोरेंसिक मैडीसिन डिपार्टमेंट, जवाहर लाल नेहरू मैडीकल कालेज (ए0एम0यू0), अलीगढ उत्तर प्रदेश। स्थाई निवासी ग्राम मिसरौलिया थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर (बिहार)

. . . . . प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

. . . . . अभियोगी

मु0अ0सं0 :– 151/2022
धारा :–153ए, 295ए, 298 व 505(2) भा0दं0सं0
थाना :– सिविल लाइन, जिला अलीगढ़।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

19–09–2023

प्रार्थी/अभियुक्त डा0 जितेन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार सिंह राजेश की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत के प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया एंव सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण उसे गलत व झूठा फंसाया गया है, वह पूर्णतः निर्दोष है। उसके विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक अभियोग धारा 153ए, 295ए, 298 व 505(2) भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराई गई और उक्त धाराओं में ही उसके विरूद्ध बाद विवेचना आरोपपत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसपर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। दौरान विवेचना प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाए गए आरोप अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दण्डनीय हैं। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई है कि जवाहर लाल नेहरू मैडीकल कालेज के फोरेंसिक मैडीसिन विभाग में एम0बी0बी0एस0 तृतीय वर्ष के छात्रों को पढाए जा रहे विषय में विभाग के शिक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा रेप के विषय में उदाहरण देते हुए भगवान विष्णु, भगवान ब्रहमा व इन्द्रदेव के प्रति अमर्यादित और भ्रमित करने वाली टिप्पणी की गई है, जिस कारण वादी व हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएँ आहत हुई हैं। उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा निशित शर्मा पुत्र प्रभात शर्मा सम्बन्धित एम0बी0बी0एस0 कक्षा का छात्र नही है। विवेचना द्वारा घटना के सही तथ्यों की सत्यता

जानने का प्रयास नहीं किया गया है। मात्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए तथ्यों के आधार पर गलत विवेचना कर आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया है। विवेचक द्वारा घटना से सम्बन्धित कम्प्यूटर, लैपटॉप व टेबलेट को भी बरामद नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्भ्रांत व्यक्ति है जो अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। उसके विरूद्ध विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है और उसके द्वारा पूर्व में भी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को असत्य रूप से आलिप्त किए जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। पूर्व में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांकित 28.04.2022 की प्रति भी दाखिल की गई है।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है और उसके विरूद्ध विवेचना उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसपर न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। उसके द्वारा यह स्वंय स्वीकार किया गया है कि दौरान विवेचना उसके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिकवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1853/2022 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1853/2022 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.04.2022 के अनुसार गुण दोष के अनुसार निस्तारित करते हुए निरस्त किया जा चुका है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद ऐसा कोई नवीन तथ्य उजागर नहीं हुआ है, जिससे अभियुक्त को जमानत दिए जाने का आधार बनता हो। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त डा0 जितेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

19/09/2023

(रवीश कुमार अत्री)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–17, अलीगढ।
(J.O. CODE - UP6447)

दिनांक 19.09.2023